न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—64/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/64)

1. पुष्पा देवी पुत्री वंशीधर पत्नी प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी बीची, तहसील फागी जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र मथुरालाल जाति ब्राहमण, मृतक
   1/1 गीता पत्नी कन्हैयालाल
   1/2 अनिता पुत्री कन्हैयालाल
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी दांतरी तहसील दूदू जिला जयपुर।
2. पार्वती पत्नी मदनगोपाल (मृतक, नाम तर्क)
3. दिनेश पुत्र मदनगोपाल (मृतक)
   3/1 पुष्पा कुमारी पत्नी स्व0 दिनेश जाति ब्राहमण निवासी गांव खेजडी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा।
4. निर्मला पुत्री मदनगोपाल पत्नी नन्दलाल, जाति ब्राहमण निवासी बाडा बास साकून तहसील साकूल जिला जयपुर।
5. निशा पत्नी संतोष निवासी बावडी गेट, सीकर जिला सीकर
6. वंदना पुत्री शरद कुमार निवासी बावडी गेट, सीकर जिला सीकर
7. परमेश्वर पत्नी सीताराम जाति ब्राहमण निवासी 62 रामपथ, श्यामनगर जयपुर।
8. प्रीती पत्नी नरेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी 62 रामपथ, श्यामनगर, जयपुर।
9. तहसीलदार राजस्व दूदू जिला जयपुर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू राजस्व वाद संख्या 395/2012

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्रसिंह वराड/प्रवीण परमार अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/2
3. श्री भीयाराम चौधरी, मानसिंह रावत रेस्पोडेंट संख्या 3/1
4. दीपक पारीक रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 06
5. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9
6. रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 4 7, 8 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः—30.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 395/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेसपोडेंट बावत घोषणा, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात वादीया ने वाद कारण अंकित कर हिस्सा 1/3 की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा तथा साथ ही बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादीया/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 395/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 4, 7, 8 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.02.2024 में तनकी संख्या 1 प्रार्थीया के विरूद्ध यह अंकित करते हुए निस्तारित की है कि वादीया/अपीलांट द्वारा उसके आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि सही होना स्वीकार किया है एवं प्रार्थीया/अपीलांट के आधार कार्ड पर उसकी जन्म तिथि 01.01.1980 अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया का जन्म उसके पिता की मृत्यु के पूर्व ही हो गया था तथा प्रार्थीया ही वंशीधर की वारिस है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एक फैब्रीकेटेड फोटो कापी के आधार पर प्रार्थीया/अपीलांटा का जन्म वर्ष 1991 में होना माना है इसलिए प्रार्थीया का असल आधार कार्ड रिकार्ड पर प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक है जिससे कि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके एवं न्याय निर्णयन हो सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान (जाब कार्ड) प्रार्थीया के पति प्रहलाद शर्मा को दिनांक 13.11.2018 को जारी किया गया है जिसमें प्रार्थीया की उम्र 37 वर्ष (वर्ष 2018 में) दर्ज है जिस अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया का जन्म 1980 में हुआ है। साथ ही प्रार्थीया के जन आधार कार्ड में भी प्रार्थीया की जन्म तिथि 01.01.1980 अंकित है। प्रार्थीया अपनढ एवं ग्रामीण परिवेश की महिला है जिसे कानूनी पेचीदगीयों का ज्ञान नही होने से पूर्व में असल आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं हो सका है जो कि प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु अति आवश्यक दस्तावेज है। प्रार्थीया द्वारा गत पेशी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अपने नये अधिवक्ता से मिलने पर उनके द्वारा असल आधार कार्ड के सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर प्रार्थीया द्वारा अपना असल आधार कार्ड, जन आधार कार्ड एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान (जाब कार्ड) अधिवक्ता को दिखाये जाने पर उनके द्वारा असल दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत करने की सलाह दी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

गई जिससे आज रोज उक्त असल दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत किये जा रहे है। प्रार्थीया का असल आधार कार्ड संख्या 5252558110216 जारी दिनांक 24.01.2013, असल महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान (जाब कार्ड) एवं असल जन आधार कार्ड माननीय न्यायालय के न्याय निर्णयन में अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे रिकार्ड पर लिया जाना अति आवश्यक है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर बतौर साक्ष्य शुमार फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित कथन जिस प्रकार अंकित किये गये है, अस्वीकार है। प्रार्थिया के जन्म की तारीख का विन्दु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण दस्तावेजो के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थिया द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अथवा न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाते समय क्यों प्रस्तुत नहीं किये गये, इसका स्पष्टीकरण प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित नहीं किया गया। अब अन्तिम बहस के स्तर पर उक्त दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना सन्देहास्पद है। इस स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में अंकित कथन जिस प्रकार अंकित किये गये है, अस्वीकार है। प्रार्थिया द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान (जाब कार्ड) में अंकित जन्म दिनांक प्रार्थिया के कथनों व अंकन के आधार पर दस्तावेज में अंकित की गई है, प्रार्थिया द्वारा अपने जन्म दिनांक के सम्बन्ध में कोई भी पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में अंकित कथन जिस प्रकार अंकित किये गये है, अस्वीकार है। प्रार्थिया को प्रारम्भ से अपनी जन्म दिनांक को लेकर न्यायालय में विवादास्पद होने की पूर्ण जानकारी रही है, जो न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो से पूर्ण रूप से साबित है। इसके बावजूद भी प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को तत्समय प्रस्तुत नहीं किया गया और अब इतने महीनो बाद उक्त दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना दस्तावेजों के बनावटी होने का सन्देह उत्पन्न करता है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 5 में अंकित कथन जिस प्रकार अंकित किये गये है, अस्वीकार है। अपील का अन्तिम निस्तारण प्रकरण मे न्यायालय के रिकार्ड से संबंधित है, किन्तु प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिए जाने योग्य नहीं है। शेष अनुतोष है, जिसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता/प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित प्रकरण से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होंगे इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि यह तथ्य स्वीकृत एवं प्रमाणित तथ्य रहा है कि वाद पत्र के मद सं० 1 में वर्णित सम्पत्ति स्व० मथुरालाल की खातेदारी होकर जरिये विरासतन कन्हैयालाल एवं मदनगोपाल के खातेदारी दर्ज की गई है। जबकि मथुरालाल के प्रथम पे–डिग्री के वारिसान समस्त के हक में विरासतन नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। यह भी स्वीकृत तथ्य रहा है कि वाद पत्र के मद सं0 2 में वर्णित सिजरा में अंकित भंवरलाल व बंशीधर में से भंवरलाल नाऔलाद फौत हुआ है तथा बंशीधर की एकमात्र वारिस वादीया रही है। जिसके हक में प्रदर्श 15 जमाबंदी संवत 2066–2069 के खाता सं० 343 में वर्णित भूमि ख0नं0 342 का नामान्तकरण सं० 1836 दिनांक 10.10.2011 बंशीधर के फौत होने पर वादीया के हक में नामान्तकरण दर्ज किया गया है। जिसमें भंवरलाल, राधावल्लभ एवं मदनगोपाल के वारिस सहिस्सेदार है। उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजात का अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन करने में कानुनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में मौखिक साक्ष्य पी०डब्ल्यू० 1 पुष्पा देवी, पी०डब्ल्यू० 2 नोरत, पी० डब्ल्यू० 3 रामेश्वर, पी० डब्ल्यू० 4 प्रहलाद के साक्ष्य लेखबद्ध किये गये थे एवं परलेखिय साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 18 दस्तावेजात वादीया द्वारा प्रस्तुत किये गये है जिससे वादीया का वाद पूर्णतः साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं० 1 का विवेचन करने में कानुनी भूल की है चूंकि वादीया का वाद बाई वर्थ हक व हिस्सा व बंशीधर की विरासतन खातेदारी अधिकारों के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अनन्य रूप से अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आया वादीया स्व० बंशीधर की पुत्री हो इस बिन्दू को सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित करवाने बाबत विवेचन कर कानूनी भूल की है इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में तनकी सं0 2 दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं० 1 को ही आधारशीला मानकर तनकी सं0 2 का साबित नहीं होना मानने में गंभीर कानुनी भूल की है। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा की गई कार्यवाही अन्तर्गत धारा 135 (2) एल आर एक्ट में वादीया पक्षकार संयोजित नहीं थी तथा बिना सुनवाई का अधिकार दिये उक्त आदेश से वादीया बाध्य व पाबंद नहीं है तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने जांच रिपोर्ट के आधार पर तनकी सं0 2 का निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की हैं। वादीया विरासत के आधार पर पैतृक सम्पत्ति में हित स्थापित करने में राजस्व रिकोर्ड एवं बयानात से प्रमाणित कर सफल रही है तथा वैधानिक रूप से कब्जा सम्बंधित तथ्यों को स्थापित किया है तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी कानून के विपरीत विरचित कर वाद खारीज करने में कानूनी भूल की है। तनकी सं0 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं01 व 2 ल0 5 पर रहा है जिसको उनके द्वारा साबित नहीं किया गया है न ही शान्ति देवी द्वारा हिस्सा लेने के तथ्य को साबित किया गया है। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक को साबित मानकर कानूनी भूल की है। तनकी सं० 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है। चुंकि वादीया मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित सम्पति पैतृक होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया है। न्यायालय में वादीगण ने अपने न्यायिक दृष्टांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं लिखित बहस में भी अंकन किया गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांतो को अपने निर्णय में शामिल नहीं किया न ही विवेचन किया न ही कारण सहित निर्णय में अंकन किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को कारण सहित विवेचन कर वाद को निर्णित किया जाना चाहिये था। वादीया ने अपनी जीरह में स्वीकार किया है कि मथुरालाल मेरे दादाजी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

लगते थे मैंने उनको देखा था। वंशीलाल जी को मरे 22–23 साल हो गये। मदन कानाराम के जो विवाद चला उसकी मुझे जानकारी है। डींडवाडा मेरा मकान है। मैं वही रहती हूँ। मेरी शादी चाचा मदनगोपाल, काना महाराज ने की थी। मैं पढी लिखी नही हूँ। मेरी शादी दांतरी में हुई थी। मेरी माताजी डिग्गी कल्याणजी के रहती है। मैं मेरे पिता के मरने से पहले पैदा हुई थी।" जिससे प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया को वंशीधर के मरने के पश्चात पैदा होने का विनिश्चय गलत आधारों पर परिपादित किया है। इसी प्रकार पी० डब्ल्यू० 2 नोरतमल ने भी अपनी जीरह में वंशीधर करीब 18–20 वर्ष पहले मरे थे। भंवरी देवी डिग्गी में शांत हुई थी। पुष्पा देवी दांतरी और डिडवाडा दोनो जगह रहती है। वंशीधर जी के मरने के बाद पुष्पा देवी दांतरी कभी नही आई। बंशीधर जी को मरे 20–21 साल हो गये। वंशीधर के मरने के बाद पुष्पा देवी भंवरी देवी डिग्गी कल्याण जी के रही एवं वही पेंट पूजा की। पुष्पा देवी की शादी दांतरी में हुई थी काका कन्हैयालाल ने की थी। आर्थिक सहयोग में मैंने भी सहयोग किया था। इसी प्रकार पी०डब्ल्यु० 3 रामेश्वर एवं पी०डब्ल्यु० 4 प्रहलाद ने भी अपनी जीरह में पुष्पा देवी की उम्र 38 वर्ष के आस पास बताई है। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात बिना गवाहों के बयानों का अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वादीया के मिसप्रिंट आधार कार्ड पर अंकित जन्म तिथि को आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया गया है जबकि वादीया द्वारा संशोधित आधार कार्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था। उक्त आधार कार्ड में वर्णित जन्म तिथि का न्यायालय ने कोई अवलोकन नहीं किया एवं सरसरी तोर पर ही बिना कारणो का उल्लेख किये निर्णय पारित करने में भूल की है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 395/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2024 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:– 2019(1) आरआरटी पेज 751, 2016(1) आर0आर0टी0 पेज 196, 2016 (2) आरआरटी पेज 910, 2016–17 (सप्ली.) आरआरटी पेज 517, 256, 2016 आर0आर0डी0 पेज 151, 2017 (1) आर0आर0टी0 383 एच.सी., 2016 (4) डीएनजे 1835 एच.सी., 2019 (2) आरआरटी पेज 889

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वाद–पत्र अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये अंकित किया कि खातेदारी जमीन वाके ग्राम किला, पातुडी, माधोपुरा एवं पातूडी में होना स्वीकार है शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है अतिरिक्त कथन में दर्ज है। वाद पत्र का पैरा संख्या 03 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है शेष अतिरिक्त कथन में दर्ज है। वाद पत्र का पैरा संख्या 7 में वर्णित अनुसार केवल प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की आराजीयात में से कुछ जमीन उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 लगातय 9 को वर्ष 2008 में विक्रय की थी जिसका विक्रय पत्र क्रेतागण के पक्ष में हो चुका है, तथा राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। वर्तमान खातेदार काश्तकार है जो विक्रेतागण राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार थे जिससे क्रेतागण के हक में कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो सकता है तथा खातेदार काश्तकार को कानूनन पावंद भी नहीं करवाया जा सकता है। वाद पत्र का पैरा संख्या 18 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है कतई गलत है जबकि विक्रय पत्र को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेवे तब तक वादीया प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नहीं है, नहीं किसी प्रकार से राहत प्राप्त कर सकती है। स्वर्गीय मथुरालाल के चार पुत्र एक पुत्री एवं पत्नी थी जिसमें पत्नी का स्वर्गवास हो गया है तथा भंवरलाल एवं बंशीधर अविवाहित फौत हो गये तथा शांति देवी बहन थी जिसने हिस्सा लेने से तहसीलदार मौजमाबाद के समक्ष इंकार करते हुये अपने हिस्से में आराजीयात के बदले सम्पति प्राप्त कर अपना हिस्सा स्वर्गीय कन्हैयालाल एवं मदनलाल के हक में छोड दिया। स्वर्गीय मथुरालाल के चार पुत्र एक पुत्री एवं पत्नी थी जिसमें भवंरलाल एवं बंशीधर अविवाहित फौत हो गये तथा स्वर्गीय भंवरलाल एवं बंशीधर के जीवनकाल में आराजीयात का विभाजन का वाद उपखण्ड अधिकारी में पेश किया गया था जिसमें 1/5, 1/5 हिस्सा निर्धारित करते हुये तकासमा के आदेश जारी किये गये थे तथा काफी जमीन गिरवी रखी हुई थी जिसे कन्हैयालाल एवं मदनगोपाल ने कडी मेहनत कर छुडवाया था तथा तहसीलदार के समक्ष बहन शांति देवी ने आवेदन पेश किया जिस पर स्वर्गीय मदनगोपाल एवं कन्हैयालाल ने चल सम्पत्ति अदा की उसके पश्चात उसने अपना हक दोनो भाईयों के हक में छोडा तथा मृतक बिरदी उर्फ गुलाब जो मृतक भंवरलाल वगै० की मां थी उसने भी अपना हिस्सा शेष रहे दोनों पुत्रों के हक में छोड दिया था तथा इस सम्बन्ध में न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल तक मुकदमा काफी वर्षो तक लंबित रहा जो रिकार्ड से प्रमाणित है। भंवरलाल एवं बंशीधर का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में चारो के नाम से चला आ रहा है जिस पर स्वर्गीय मदनगोपाल द्वारा आवेदन तहसीलदार मौजमाबाद को प्रस्तुत किया, जिसमें हल्का पटवारी से 97 में रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें भंवरलाल बंशीधर बिना विवाह ही स्वर्गवास होना वर्णित किया तथा जांच रिपोर्ट एवं गवाहान के बयान लेने के पश्चात कन्हैयालाल एवं मदनगोपाल का 1/2, 1/2 हिस्सा स्वीकार कर नामांतकरण तस्दीक किया गया, उसी: दौरान शांति देवी ने हिस्सा लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन मृतक कन्हैयालाल एवं मदनगोपाल ने चल सम्पत्ति देकर उसका 1/6 हिस्सा लेना स्वीकार किया था तथा बिरदी देवी ने अपने जीवनकाल में ही अपना हिस्सा मदनगोपाल एवं कन्हैयालाल को दे दिया था उसके बाद बिरदी देवी का स्वर्गवास हो गया। आदि तथ्य अंकित करते हुये वादीया के वाद को खारिज करने का निवेदन किया हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा न्यायिक नजीरों का सम्मान अवलोकन किया। वाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर कुल 8 तनकीया निर्मित की गई एवं तनकी संख्या 01 से 05 अपीलांट/वादी के विरूद्ध तय करते हुए अपीलांट वादी का वाद खारिज किया गया। हमारे द्वारा उक्त तनकीयों का निस्तारण इस प्रकार किया जा रहा है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तनकी संख्या 1 " **आया वाद पत्र के मद में नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात वादीया की पैतृक आराजीयात तथा वादीया बंशीधर की जीवित वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से मुताबिक अनुतोष घोषणा खातेदारी एवं कब्जा प्राप्त करने की अधिकारीणी है।**"

Scanned with CamScanner

उक्त तनकी को अधीनस्थ न्यायालय ने यह आधार बताते हुए विरूद्ध वादीया/अपीलांट तय की गई कि दस्तावेज प्रदर्श 15 नामान्तकरण संख्या 343 दिनांक 04.10.2011 वाके ग्राम डींडवाडा तहसील किशनगढ वादीया द्वारा प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तकरण में वादीया के पिता का नाम बंशीलाल अंकित है। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी मृतक का नाम वंशीलाल है। मृतक बंशीलाल एवं बंशीधर एक ही व्यक्ति है, यह तथ्य वादीया द्वारा साबित नहीं किया गया है। वादीया द्वारा इसके अलावा बंशीधर की पुत्री होने का कोई सबूत पेश नहीं किया गया तथा नामान्तरकरण मात्र शपथ पत्र के आधार पर खोला गया है विरासत बंशीधर के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, वादीयां स्वयं ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि आधार कार्ड में जो जन्मतिथि अंकित की है व सही है तथा जन्म दिनांक 01.01.1991 दर्ज होना स्वीकार किया गया है तथा वादीया के पति ने भी पी डब्लू 4 ने भी आधारकाड पर अपनी पत्नी के जन्म तिथि होना स्वीकार किया है तथा सरपंच द्वारा सजरा जारी किया गया है तथा सरपंच को साक्ष्य में पेश नहीं किया है। तथा नामान्तकरण के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ में मुकदमा प्रस्तुत कर चुनौती दे रखी है तथा वादी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण भी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी विवेचन किया गया है कि आधार कार्ड पर जन्मतिथि 01.01.1991 दर्ज है जबकि बंशीधर का मृत्यु प्रमाण पत्र वर्ष 1988 को होना स्वीकार किया गया है जो कि वादीया का बंशीधर की पुत्री होने मे संशय उत्पन्न करता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत को चस्पा करते हुए वादीया सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करें तदुपरांत विरासत के आधार पर पैतृक भूमि के सम्बन्ध में अपने अधिकारों की घोषणा की अधिकारी है। मात्र नामान्तकरण के आधार जिसकों भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दे रखी हो। वादीया का मृतक बंशीधर की वारिसा होना स्थापित नहीं होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 को विरूद्ध वादीया/अपीलांट तय किया गया है।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, दावे एवं जवाब दावें एवं ग्राम डीडवाडा तहसील किशनगढ अवस्थित भूमि के नामान्तकरण संख्या 343 दिनांक 04.10.2011 एवं नामान्तकरण संख्या 471 दिनांक 16.04.1967 का अवलोकन किया गया नामातंकरण संख्या 471 मथूरा लाल पुत्र मांगीलाल का विरासत का है उक्त नामांतकरण में मथुरालाल के चारो पुत्रों के नाम नामांतकरण स्वीकृत किया गया उक्त चारों पुत्रों में बंशीलाल का नाम भी दर्ज है। उक्त नामांतकरण को मथुरालाल के अन्य पुत्रों द्वारा कभी चुनौती नहीं देकर वंशीलाल को मथुरालाल का पुत्र माना गया है बंशीलाल के फौत होने पर ग्राम पंचायत डीडवाडा द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर जांच कर सर्वसहमति से बंशीलाल की जांयदा पुत्री अपीलांट/वादी के नाम नामातंकरण संख्या 183 दिनांक 10.10.2011 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध मथुरालाल के पुत्र कन्हैयालाल की पुत्री वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 अनिता पुत्री कन्हैयालाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष अपील संख्या 172/2020 प्रस्तुत की है जो कि विचाराधीन है उक्त अपील में कन्हैयालाल की पुत्री ने यह कथन करते हुए अपील पेश की है कि बंशीलाल नाऔलाद फौत हो चुका है उसके कोई वारिस नहीं है बंशीलाल हमारे पूर्वज है इसलिए उक्त बंशीलाल के विरासत नामान्तकरण को निरस्त किया जावे। इस प्रकार कन्हैयालाल के वारिस वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 अनिता बंशीलाल को अपना पूर्वज मानते हुए मथुरालाल का पुत्र स्वीकार कर रहे है दूसरी ओर ग्राम दांतरी एवं अन्य गांवों को लेकर सहायक कलक्टर दूदू के न्यायालय में बंटवारे का वाद पेश कर बंटवारा करवाया गया है उक्त वाद में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

मथुरालाल का पुत्र बंशीधर को पक्षकार बनाते हुए बंटवारा करवाया है ऐसी स्थिति में एकतरफ तो बंटवारें के वाद में बंशीधर को मथुरालाल का पुत्र स्वीकार कर रहे है साथ ही दूसरी ओर ग्राम डीडवाडा तहसील किशनगढ में स्थिति पुश्तैनी आराजीयात बाबत खुले विरासत नामान्तकरण 471 में बंशीलाल को मथुरालाल का पुत्र मानते हुए बंशीलाल की विरासत बाबत खुले नामातंकरण को चुनौती दे रहे है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट स्वयं स्वीकार कर रहे है कि बंशीधर एवं बंशीलाल एक ही व्यक्ति होकर मथुरालाल का जायंदा पुत्र है। इस प्रकार ग्राम दांतरी व अन्य गांव में अवस्थित भूमि का करवाये गये बंटवारें से व ग्राम डीडवाडा में मथुरादास की विरासत बाबत खुले नामातंकरण 471 व रेस्पोडेन्ट द्वारा बंशीलाल की विरसात बाबत भरे नामातंकरण संख्या 183 को अपील के माध्यम से चुनौती देने से व अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिये गये बयानों, प्रस्तुत दस्तावेजों ग्राम पंचायत डीडवाडा द्वारा जांच कर स्वीकृत किये गये नामांतरण व ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर यह स्पष्ट है बंशीलाल एवं बंशीधर एक ही व्यक्ति होकर मथुरालाल पुत्र मांगीलाल का जायंदा पुत्र है।

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी के आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आधार बनाकर बंशीलाल उर्फ बंशीलाल की मृत्यु सन 1988 में होना व अपीलांट के आधार कार्ड में जन्मतिथि 01.01.1991 अंकित होना मानते हुए अपीलांट का जन्म 1988 के बाद होना माना है। जबकि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत आधार कार्ड में संशोधन करवा कर नवीन आधार कार्ड प्रस्तुत किया है उक्त संशोधन सक्षम दस्तावेजों के आधार पर जारी किया जाता है उक्त संशोधित आधार कार्ड में वादीया/अपीलांट की जन्मतिथि 01.01.1980 अंकित है तथा न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जनआधार कार्ड में भी अपीलांट की जन्मतिथि दिनांक 01.01.1980 है इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा सन 2018 में जारी जॉब कार्ड में भी अपीलांट की उम्र 37 वर्ष अंकित है। अतः मात्र आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि के आधार पर अपीलांट/वादीया को बंशीलाल उर्फ बंशीधर की मृत्यु होने के बाद पैदा होना नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट बंशीलाल उर्फ बंशीधर की जायंदा पुत्री होना साबित है। तथा अपने पिता बंशीलाल उर्फ बंशीधर की पुश्तैनी आराजीयात में अपने हक अधिकारों बाबत घोषणा करवाने के लिए अधिकारी है। वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं को प्रदर्श दस्तावेजों से बंशीलाल उर्फ बंशीधर की पुत्री होना साबित कर दिया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निस्तारण करते समय दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन नहीं कर सरसरी तौर पर उक्त तनकी को विरूद्ध वादी/अपीलांट तय किया गया। इस संबंध में हमने न्यायिक दृष्टांत 2019(2) आर0आर0टी0 पेज संख्या 889 का सासम्मान अवलोकन किया गया जो कि हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। जहां तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 व 206 के बारें में दोनो पक्षों द्वारा दिये गये तर्को का प्रश्न है, से स्पष्ट है कि धारा 206 राजस्व न्यायालय को इस बात को सक्षम नहीं बनाती है कि राजस्व वाद में विरासत का मामला/उत्तराधिकारी का मामला भी उनके द्वारा तय किये जाने की सक्षमता होती है। यह प्रकरण धारा 206 के प्रावधानों की परिधि से परे है और धारा 207 के प्रावधान निम्न प्रकार है:-

"207 केवल राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय वाद और आवेदन-(1) तृतीय अनुसूची के विनिर्दिष्ट प्रकार के सब वाद और आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने और अवधारित किये जायेंगे।

(2) राजस्व न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय, ऐसे किसी वाद या आवेदन का या ऐसा वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद या आवदेन द्वारा अभिप्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया जा सकता है, संज्ञान नहीं करेगा।" इसलिए स्पष्ट है कि इस मामले में अपीलार्थी को बंशीलाल के उत्तराधिकारी होने की तनकी न तो रिविल न्यायालय से तय कराने की आवश्यक्ता थी और न ही राजस्व न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को सिविल न्यायालय में भेजने की आवश्यक्ता थी। क्षेत्राधिकार देखने के लिए दावे का "पिथ एण्ड सब्सटैन्स" देखना चाहिए। इस मामले में वादीगण द्वारा किये गये दावे का पिथ एण्ड सब्सटैन्स स्पष्ट रूप से यह है कि वादीगण ने वाद में 1/3 के हिस्से की खातेदारी मांगी है। इसके अतिरिक्ताअपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंशीधर उर्फ बंशीलाल की पुत्री होना दस्तावेजों से साबित कर दिया था अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बंशीधर उर्फ बंशीलाल की पुत्री नहीं मानकर क्षेत्राधिकार से परे मानना दस्तावेजों के विपरित है। उक्त तनकी अपीलांट के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः तनकी संख्या 1 वादी/अपीलांट के पक्ष में निर्णित की जाती है।

वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की पैतृक आराजीयात है तथा वादीया बंशीधर उर्फ बंशीलाल की की जीवित वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से मुताबिक अनुतोष घोषणा खातेदारी एवं कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है।

तनकी संख्या 02 " **आया विवादित आराजीयात वादीया के दादा मथुरालाल की मिल्कियत रही थी, जो भंवरलाल व बंशीलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। भंवरलाल अविवाहित निर्वसियत फौत होने से वादीया वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में हिस्सा 1/3 प्राप्त करने की अधिकारीणी है।**

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को तनकी संख्या 01 को आधार बनाकर तथा तहसीलदार मौजमाबाद की जांच रिपोर्ट, 135 (2) एल.आर.एक्ट में किये गये निर्णय व प्रदर्श डी डब्लू 2 को आधार बनाकर विरूद्ध वादी/अपीलांट तय किया गया है।

जबकि उक्त तनकी संख्या 2 तनकी संख्या 01 पर आधारित है तनकी संख्या 01 वादीया/अपीलांट के पक्ष में बखूबी साबित हो चुकी है। भंवरलाल पुत्र मथुरालाल लाऔलाद फौत हुआ था जो कि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है यदि कोई खातेदार निर्वसियत नाऔलाद फौत हो जाता है तो उसका वादग्रस्त आराजीयात में निहित सम्पूर्ण हक हिस्सा उसके सभी प्रथम श्रेणी वारिसो में निहित होगा अपीलांट/वादीया का पिता बंशीलाल उर्फ वंशीधर, मृतक भंवरलाल का जायंदा भाई होकर प्रथम श्रेणी का वारिस है अतः भंवरलाल के निर्वसयित फौत हो जाने से वादीया के पिता व वादीया भंवरलाल के पुश्तैनी हिस्से में से अपने निहित पुश्तैनी हिस्से को प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने भंवरलाल व बंशीलाल को नाऔलाद फौत बताते हुए तहसीलदार के समक्ष गलत आधारों पर उक्त विरासत की कार्यवाही की गई थी क्योंकि बंशीलाल उर्फ बंशीधर नाऔलाद फौत नहीं हुआ था, अपीलांट वादीया बंशीलाल उर्फ बंशीधर की जायंदा पुत्री है जिसे एल आर एक्ट 135 (2) में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था अपीलांट/वादीया ने अपने पुश्तैनी हक अधिकारों की घोषणा बाबत अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश कर वाद को जरिये दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बयानों से साबित कर दिया था। ऐसी स्थिति में वादीया अपने पिता की पुश्तैनी हिस्से व अपने पिता के भाई भंवरलाल के निर्वसियत फौत हो जाने से भंवरलाल के पुश्तैनी हिस्से मेंसे अपीलांट/ वादीया अपना पुश्तैनी हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है जिसको वादीया ने बखूबी साबित कर दिया है।

वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं को प्रदर्श दस्तावेजों से बंशीलाल उर्फ बंशीधर की पुत्री होना साबित कर दिया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निस्तारण करते समय दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन नहीं कर सरसरी तौर पर उक्त तनकी को विरूद्ध वादी/अपीलांट तय किया

Scanned with CamScanner

गया जबकि उक्त तनकी भी अपीलांट के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः तनकी संख्या 2 वादी/अपीलांट के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 " **आया वादीया प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीणी है**" ..... वादीया उक्त तनकी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 01 व 02 को आधार बनाकर व अपीलांट/वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से व कब्जा साबित नहीं होने के आधार पर उक्त तनकी वादीया/अपीलांट के विरूद्ध तय की है। जबकि वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में तनकी संख्या 01 व 02 को बखूबी साबित करते हुए वादग्रस्त आराजीयात में अपना हक व अधिकार पुश्तैनी होने के आधार पर साबित कर दिया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप तनकी संख्या 01 व 02 को वादीया/अपीलांट के विरूद्ध तय की थी। इसी को आधार बनाते हुए उक्त तनकी त्रुटि पूर्ण रूप से वादीया/अपीलांट के विरूद्ध तय की गई थी जबकि पुश्तैनी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का कानूनी रूप से कब्जा माना जाता है तथा वादीया ने वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी साबित कर दिया था ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 01 व 02 वादीया के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। वादीया का राजस्व रिकार्ड में नाम नहीं होने का आधार बनाकर स्थायी निषेधाज्ञा की तनकी वादीया/अपीलांट के विरूद्ध तय की है जबकि वादीया/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उद्घोषणा, बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद पेश किया था जिसको वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित कर दिया था जिसका विस्तृत निर्णय तनकी संख्या 01 व 02 में किया जा चुका है अतः तनकी संख्या 03 वादीया के पक्ष में निर्णित करते हुए रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी वादीया के पुश्तैनी हिस्से से बेदखल करवाने एवं रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

तनकी संख्या 04" **आया प्रतिवादी 1 व 2 लगायत 5 ही स्व0 मथुरालाल के वारिसान है भंवरलाल व बंशीधर अविवाहित फौत होने से व शांति देवी द्वारा हिस्सा लेने से इंकार करने पर रिकार्ड में अंकन किया गया था जो सही है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 5**

उक्त तनकी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 5 के पक्ष में यह कहते हुए तय किया गया कि तहसीलदार ने भंवरलाल व बंशीलाल की मृत्यु उपरांत विरासत की कार्यवाही को पटवारी हल्का की रिपोर्ट को एवं प्रदर्श 8 शांति देवी स्व0 मथुरालाल की पुत्री होना विवादित माना है जिसका निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं माना है व विवादित आराजी का कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 द्वारा क्रय करने को आधार बनाकर उक्त तनकी प्रतिवादी 1 व 2 लगायत 5 के पक्ष में आंशिक रूप से तय की गई। जबकि पत्रावली में प्रदर्श पी 15 व 18 तथा बंशीलाल पुत्र मथुरालाल तथा भंवरी पत्नी वंशीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र व प्रदर्श 18 ग्राम पंचायत डींडवाडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र का हमारे द्वारा गहनता से अवलोकन किया गया गया जिसमें स्पष्ट है कि भंवरी जिसकी मृत्यु 05.07.1991 को हुई जो वंशीलाल उर्फ वंशीधर की मृत्यु के बाद हुई। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में भवंरी के पति का नाम बंशीलाल अंकित है ऐसी स्थिति में बंशीलाल नाऔलाद फौत नही हुआ था । भंवरी बंशीलाल उर्फ वंशीधर की पत्नी थी। जो कि प्रदर्श पी 15 नामान्तकरण पंजिका में भंवरी देवी का नाम अंकित है तथा उक्त नामान्तकरण वादीया/अपीलांट के पक्ष में तस्दीक हुआ था तथा ग्राम पंचायत डींडवाडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादीया/अपीलांट को बंशीलाल उर्फ वंशीधर एवं भंवरी की पुत्री होना माना है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादीया ने अपने आप को बंशीलाल उर्फ वंशीधर की पुत्री साबित कर दिया था अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वादीया/अपीलांट को सक्षम न्यायालय से विधिक वारिसान निर्धारण करने का जो आधार लिया है वह विधि सम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात का कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 द्वारा सद्भाविक रूप से क्रय करना मानने मे कानूनी त्रुटि कारित की है क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट/वादीया का अपने पिता व अपने पुश्तैनी हक हिस्से तक कानूनी रूप से बेअसर है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 को सद्भाविक क्रेता नहीं माना जा सकता है। उक्त तनकी को प्रतिवादी संख्या 01, 02 लगायत 05 ने अधीनस्थ न्यायालय में साबित नहीं किया था फिर भी उक्त तनकी को अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में तय किया था। तथा वादग्रस्त आराजीयात वादीया बंशीधर उर्फ बंशीलाल की जाईन्दा पुत्री होने से व भंवरलाल के नाऔलाद फौत होने से व शांति देवी द्वारा हिस्सा लेने से इंकार करने पर भंवरलाल नाऔलाद फौत होने पर वादीया के पिता बंशीलाल उर्फ बंशीधर भंवरलाल के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से तथा शांतिदेवी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से हिस्सा छोडने पर शांतिदेवी का पुश्तैनी हक व हिस्सा कानूनी रूप से शांतिदेवी के सभी भाईयों में बराबर जाने के आधार पर वादीया बंशीलाल उर्फ बंशीधर की जाईन्दा पुत्री होने के आधार पर भंवरलाल व शांतिदेवी के पुश्तैनी हक हिस्से में अपने पिता के पुश्तैनी हक हिस्से के आधार पर हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। राजस्व कर्मचारियों ने अपीलांट के पिता नाऔलाद फौत बताकर भंवरलाल व शांतिदेवी के पुश्तैनी हिस्से को वादीया के पिता व वादीया के नाम दर्ज नहीं कर किया गया राजस्व रिकार्ड में अंकन गलत था जिसको वादीया ने साबित कर दिया था जिसका विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 लगायत 03 में किया जा चुका है। अतः उक्त तनकी संख्या 04 को आंशिक रूप से प्रतिवादी गण के पक्ष मे तय करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः उपरोक्त कारणों व तनकी संख्या 1 से 3 वादी/अपीलांट के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त तनकी संख्या 4 भी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 5 **"आया प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा कुछ जमीन प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 को वर्ष 2008 में विक्रय की गई थी, वादीया सक्षम न्यायालय से विक्रय पत्र निरस्त नहीं करवा लेवें तब तक वाद मेन्टेबल नहीं है।**

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र को तथा वादीया द्वारा विक्रय पत्र के समय न्यायालय के समक्ष कोई वाद विचाराधीन नहीं होने के आधार पर क्रेतागणों को सद्भाविक क्रेता मानते हुए तथा विक्रय पत्र के निरस्तीकरण का क्षेत्राधिकार नहीं मानते हए उक्त तनकी को प्रतिवादी के पक्ष में तया किया गया जबकि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट/वादीया की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। जिसको वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय मे साबित कर दिया था, जिसका विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 01 से 04 में किया जा चुका है जहां तक विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्तीकरण का प्रश्न है इस संबंध में हमाने द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय मे वादीया द्वारा पेश राजस्व वाद का अवलोकन किया गया जिसमें वादीया ने विक्रय पत्र के निरस्तीकरण बाबत कोई अनुतोष नहीं गाना है बल्कि अपने वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विक्रय पत्रों को अपने हक अधिकारों पर बेअसर मानते हुए उदघोषणा चाहीं है जो कि कानूनी रूप से पूर्णतया विधिसम्मत हे। उद्घोषणा के वाद की सुनवाई का समस्त क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है ऐसी स्थिति में उक्त तनकी को प्रतिवादी के पक्ष मे तय किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की है। अतः उक्त तनकी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

संख्या 5 भी वादीगण के पक्ष में साबित होने से विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट तय की जाती है।

तनकी संख्या 06 " आया स्व0 भंवरलाल व बंशीधर के जीवनकाल में विभाजन का वाद पेश किया गया था, जिसमें 1/5–1/5 हिस्सा निर्धारित करते हुए तकासमा के आदेश जारी किये थे, जिसका वाद पत्र पर क्या प्रभाव रहेगा।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तनकी को साबित करने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे उक्त तनकी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया गया था। उक्त तनकी स्व0 भंवरलाल व बंशीधर के जीवनकाल में विभाजन का वाद पेश करने बाबत व मथुरालाल के पांचों वारिसों के 1/5–1/5 हिस्सा तय करने से संबंधित है उक्त तनकी का वादीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि उक्त तनकी में मथुरालाल के पांचो वारिसों को 1/5–1/5 हिस्सा होना बताया है जो कि सही है किन्तु भंवरलाल व बंशीलाल को नाऔलाद फौत बताते हुए वाद की विरासत कार्यवाहीयों में भवंरलाल का हिस्सा तो सही रूप से उसके प्रथम श्रेणी के वारिसानों में दर्ज कर दिया गया किन्तु बंशीलाल उर्फ बंशीधर की मृत्यु उपरांत उसके विधिक वारिसान उसकी पत्नि एवं पुत्री पुष्पा का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया है जो कि तनकी संख्या 01 से 03 में किये गये निर्णय में पूर्णतया साबित है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 06 का अपीलांट/वादीया का अपनी पुश्तैनी हिस्से की भूमि में हक अधिकार प्राप्त करने पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है।

तनकी संख्या 07 " आया वादीया को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है"

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी साबित नहीं करने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई है। ऐसी स्थिति में वादीया ने अपने वाद पत्र में जो वाद कारण उत्पन्न होना बताया है जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने सही माना है। उक्त तनकी में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यक्ता नही है।

तनकी संख्या 08 "अनुतोष"

अपीलांट/वादीया तनकी संख्या 01 से 05 को बखूबी दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया सफल रही है तथा प्रतिवादी तनकी संख्या 06 व 07 को साबित करने मे असफल रहे है तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन करने पर उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अतः वादीया अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश राजस्व वाद पोषणीय होने एवं वादीया द्वारा तनकी संख्या 01 से 05 को बखूबी साबित करने व प्रतिवादी संख्या 06 व 07 को साबित करने में असफल रहने के कारण वादीया अपने वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारी है लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादीया द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद तनकी संख्या 01 से 05 वादीया के पक्ष में साबित होने व तनकी संख्या 06 व 07 प्रतिवादीगण द्वारा साबित नहीं किये जाने के कारण अपीलांट/वादीया की अपील स्वीकार की जाकर वादीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 395/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2024 को खारिज किया जाता है। अपीलांट/वादीया का

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व वाद को स्वीकार किया जाता है वादग्रस्त आराजीयात खसरा खसरा नम्बर 90 रकबा 5.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 2.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 95 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा संख्या 96 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 93 रकबा 1.86 हैक्टर, खसरा संख्या 99 रकबा 0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम किला, तहसील दूदू आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 करबा 0.9600 हैक्टर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 461 करबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463 करबा 0.49 हैक्टेयर, वाके ग्राम पातुडी, तहसील दूदू, आराजी खसरा संख्या 544 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम माधोपुरा, तहसील दूदू, आराजी खसरा नम्बर 644 रकबा 15 विस्वा, खसरा नम्बर 645 रकबा 4 विस्वा, खसरा नम्बर 646 रकबा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 672 रकबा 1 वीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 900 रकबा 2 वीघा 10 विस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 5 वीघा 7 विस्वा वाके ग्राम दांतरी तहसील दूदू जिला जयपुर में अपने पिता व अपने पुश्तैनी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजीयात का कुछ हिस्सा प्रतिवादीगण द्वारा केता प्रतिवादीगण के पक्ष में जो विक्रय विलेख निष्पादित किये है उक्त विक्रय पत्रों में जाने वाली भूमि प्रतिवादीगण/विक्रेतागणों के हिस्से में से कम की जाती है तथा वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से में से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। वादीया/अपीलांट को प्राप्त होने वाली 1/3 भूमि पर वादीया के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी व मदाखलत नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर अपीलांट/वादीया को विवादित भूमि के 1/3 हिस्से का कब्जा सुपुर्द करें।इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/07/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"- 9)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

व इजलाश :रामचन्द्र, आर.ए.एस.

पुष्पा देवी पुत्री वंशीधर पत्नी प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी बीची, तहसील फागी जिला जयपुर।

बनाम

कन्हैयालाल पुत्र मथुरालाल जाति ब्राहमण, मृतक

1/1 गीता पत्नी कन्हैयालाल

1/2 अनिता पुत्री कन्हैयालाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासी दांतरी तहसील दूदू जिला जयपुर व अन्य

अपील संख्या:-64 सन् 2024 (2024/64) व नाराजगी डिगरी अदालत उपखण्ड अधिकारी, दूदू मुबर्खे 12 माह 02 सन् 2024

दावा बाबत: घोषणात्मक, बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह अपील व तारीख 30 माह 07 सन् 2025 रूबरू **राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर** व हाजिरी श्री राजेन्द्रसिंह वराड एडवोकेट मिनजानिब अपीलांट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 श्री हेमराज गुप्ता, रेस्पोडेन्ट 3/1 श्री भीयाराम चौधरी, रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 श्री दीपक पारीक समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ है कि:- अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 395/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2024 को खारिज किया जाता है। अपीलांट/वादीया का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व वाद को स्वीकार किया जाता है वादग्रस्त आराजीयात खसरा खसरा नम्बर 90 रकबा 5.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 2.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 95 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा संख्या 96 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 93 रकबा 1.86 हैक्टर, खसरा संख्या 99 रकबा 0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम किला, तहसील दूदू आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 करबा 0.9600 हैक्टर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 461 करबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463 करबा 0.49 हैक्टेयर, वाके ग्राम पातुडी, तहसील दूदू, आराजी खसरा संख्या 544 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम माधोपुरा, तहसील दूदू, आराजी खसरा नम्बर 644 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 645 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 646 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 672 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 900 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी तहसील दूदू जिला जयपुर में अपने पिता व अपने पुश्तैनी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजीयात का कुछ हिस्सा प्रतिवादीगण द्वारा केता प्रतिवादीगण के पक्ष में जो विक्रय विलेख निष्पादित किये है उक्त विक्रय पत्रों में जाने वाली भूमि प्रतिवादीगण/विक्रेतागणों के हिस्से में से कम की जाती है तथा वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से में से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। वादीया/अपीलांट को प्राप्त होने वाली 1/3 भूमि पर वादीया के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी व मदाखलत नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर अपीलांट/वादीया को विवादित भूमि के 1/3 हिस्से का कब्जा सुपुर्द करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुवक्लिक.....-.....)रूपये.-.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....-..... अदा करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner